न्यायालय उपखण्ड अधिकरी किशनगढबास खैरथल–तिजरा (राज0)

अध्याशाषितः– श्री मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस0

दावा सं0	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
138 / 23	26.07.2023	19.02.2025

उनवान

1. यादराम पुत्र घीसाराम जाति मेघवाल (चमार) निवासी मनेठी तहसील व जिला रेवाडी हरियाणा हाल निवासी कोहराना तहसील बहरोड जिला अलवर राज0।

:–वादी

बनाम

1. श्योचन्द पुत्र फकीरा
2. रामचन्द्र पुत्र फकीरा
3. केला पुत्री फकीरा
4. बदामी पुत्री फकीरा
5. विशाल पुत्री फकीरा
6. सुबेसिंह
7. जवाहरलाल पुत्रान श्री हबडाराम जातियान चमार निवासीयान ग्राम भटकोल तहसील किशनगढबास
8. केनरा बैंक शाखा प्रबंधक, शाखा–किशनगढबास तहसील किशनगढबास
9. उप–पंजीयक महोदय, तहसील किशनगढबास
10. श्रीमान तहसीलदार साहब किशनगढबास तह0 किशनगबास

:–प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0एक्ट0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0

उपस्थितिः–1. श्री रामवतार कपूर जी वकील प्रार्थी / प्रति0 की ओर से।
2. श्री गिरधारीलाल शर्मा जी वकील अप्रार्थी / वादी की ओर से।

निर्णय दिनांक 19-02-25

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से हैः–

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी ख0नं0 80 रकबा 16 बिस्वा (0.2000हे0), 86 रकबा 19 बिस्वा (0.2400हे0) वाके ग्राम भटकोल तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा राज0 में स्थित है। जो आराजी इस वाद में विवादित आराजी है।

अदालत श्रीमान ने दिनांक 10.07.2024 को वादी का अस्थाई निषेद्याज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0टी0एक्ट आराजी खसरा नं0 80 रकबा 0–16 बिस्वा, 86 रकबा 0–19 बिस्वा वाके ग्राम भटकोल तहसील किशनगढबास सिद्ध नही होने के कारण खारिज कर दिया है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

विवादित आराजीयात का फकीरा उर्फ फकीरचन्द पुत्र भोमा जाति चमार निवासी भटकोल ने अपने जीवनकाल में बेचान का बयनामा दिनांक 10.04.1978 को सुल्तान पुत्र चन्दर जाति चमार निवासी कोहराना तहसील बहरोड को जर्ये नरबद जोगी के बेचान नही किया। ना ही कोई रजिस्ट्री की, ना ही रजिस्ट्री पर अंगूठे किये, ना ही नरबद जोगी को फकीरा उर्फ फकीरचन्द ने कोई इकरारनामा लिखा, ना ही नरबद जोगी को कोई पावर ऑफ अटोर्नी लिखी। नरबद को फकीरा की खातेदारी की जमीन विवादित का बेचान करने का कोई अधिकार नही था। रजिस्ट्री करने के लिए नरबद की कोई आवश्यकता नही थी।

दूसरी बात यह है कि फकीरा उर्फ फकीरचन्द को विवादित आराजी में से आधे भाग की रजिस्ट्री करता तो दोनों नम्बरान में से आधे भाग की हिस्सेदार उसकी बहन भूरंगी पुत्री भोमाराम थी। जिससे जाहिर है कि सुल्तान पुत्र चन्दर जाति चमार निवासी कोहराना ने जर्ये नरबद फर्जी रजिस्ट्री कराई है। नरबद पुत्र श्योनारायण को एससी की जमीन को बेचने का कोई अधिकार नही था। क्योकि जोगी ओबीसी में आते है। उस रजिस्ट्री दिनांक 10.04.1978 पर फकीरा उर्फ फकीरचन्द के दूसरा व्यक्ति को खडा करके अंगूठे लगा दिये। जर्ये नरबद पुत्र श्योनारायण जाति जोगी निवासी भटकोल से मिलकर फर्जी रजिस्ट्री कराई है।

दिनांक 10.04.1978 को सुल्तान पुत्र चन्दर जाति चमार निवासी कोहराना तहसील बहरोड फकीरा उर्फ फकीरचन्द से रजिस्ट्री कराने के बाद भी आज 45 साल तक इन्तकाल अपने नाम नही चढवाया जिससे भी संदेह है कि रजिस्ट्री फर्जी है। दिनांक 10.04.1978 से आज तक प्रतिवादीगण का कब्जा है सुल्तान का कब्जा नही है। राजस्व रिकार्ड में आज तक प्रतिवादीगण का ना अंकित है। बलबीर पुत्र सुल्तान के हक में दिनांक 23.01.2008 को वादी के हक में कोई वसीयत नही लिखी जो वसीयत फर्जी है। वसीयत को वादी ने आज तक सेशन न्यायालय से आज तक प्रोबेट जारी नही कराई क्योंकि वसीयत दिनांक 23.01.2008 नोटेरी से तस्दीक है।

नोटेरी से वसीयत दिनांक 23.01.2008 तस्दीक है जो वसीयत के नीचें मोहर के नीचें तारीख महिना साल नही लिखा वसीयत के लिए किसने स्टाम्प खरीद किया कहीं पर भी अंकित नही है। जिससे वसीयत दिनांक 23.01.2008 फर्जी है। वो वसीयत किस स्थान पर लिखी यह भी अंकित नही है। नोटेरी अजयराव ने तस्दीक की है वो अजयराव के पास दिनांक 23.01.2008 को कोई लाईसेन्स तस्दीक करने का नही था। जिससे वसीयत फर्जी साबित होती है।

सुल्तान की चल वो अचल सम्पत्ति की वसीयत में अकेले उसके पुत्र बलबीर को कोई कानूनी अधिकार नही था। सुल्तान की चल वो अचल सम्पत्ति में उसकी तीन लडकीया चमेली, मिश्रो व रेशमी का बराबर अधिकार था। सुल्तान की चल वो अचल सम्पत्ति को अकेला बलबीर बेचान नही कर सकता जिससे साफ जाहिर है कि बलबीर द्वारा लिखा हुआ इकरारनामा जो पेश है फर्जी है। अगर बलबीर यादराम को कोई वसीयत करता है तो वह सुल्तान की चल अचल सम्पत्ति में से 1/4 हिस्से की कर सकता है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

प्रतिवादीगण दोनों खसरा नम्बरान 80 वाके 86 पर पडदादा, पिता के जीवनकाल से ही काबिज है। वादी ने फर्जी रजिस्ट्री दिनांक 10.04.1978 वो फर्जी वसीयतनामा दिनांक 23.01.2008 के आधार पर वाद दायर किया है जो काबिले खारिज है।

अतः प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी ने वाद फर्जी रजिस्ट्री दिनांक 10.04.1978 वो फर्जी वसीयतनामा दिनांक 23.01.2008 के आधार पर बेरून मियाद पेश किया है। जो वाद वादी उपरोक्त तथ्यों के आधार पर काबिले खारिज है। वाद वादी खारिज किया जावें।

वादी/अप्रार्थी प्रार्थना–पत्र प्रार्थी को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश कर निवेदन किया कि फकीरा उर्फ फकीरचन्द पुत्र भोमा निवासी भटकोल अपने जीवनकाल दिनांक 10.04.1978 को सुल्तान पुत्र चन्दर निवासी कोहराना तहसील बहरोड को बेचान किया था। जबकि यह गलत है कि नरबद जोगी को ना ही कोई रजिस्ट्री हुई है ना ही नरबद जोगी द्वारा कोई अंगूठे लगाये, ना ही फकीरा ने कोई इकरारनामा नरबद जोगी को लिखा। फकीरा ने सुल्तान को बयनामा किया है। नरबद जोगी का उल्लेख प्रार्थना देहिन्दा ने गलत दर्ज किया है।

बयनामा दिनांक 10.04.1978 में फकीरा ने पअने आपको अकेला भोमा का वारिस मानते हुए खसरा नं0 80 रकबा 0.2000है0, 86 रकबा 0.2400है0 वाके ग्राम भटकोल का बयनामा किया है। उसने भोमा के अन्य वारिसान के बारे में अपने बयनामें में किसी प्रकार का उल्लेख नही किया है। फकीरा ने सुल्तान को बयनामा किया है। जो दोनों ही एक ही जाति के है। और ना ही फकीरा की जगह किसी भी अन्य आदमी को खडा करके अंगूठा लगाये है। फकीरा ने सुल्तान को रजिस्ट्री की है कोर्ट फीस अदा की है। तहसीलदार के समक्ष पंजीयन कराया है जवाब देहिन्दान के उनके पिता फकीरा की मृत्यु हो जाने के कारण बदयान्ति के कारण वादी की आराजी को हडप करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है।

सुल्तान पुत्र चन्दर ने दिनांक 10.04.1978 को बाकब्जा बाप्रतिफल अपने हक में बयनामा पंजीबद्ध करवाया है बयनामा के तुरंत बाद फकीरा उर्फ फकीरचन्द वादग्रस्त आराजी पर चतुराई से किसान क्रेडिटकार्ड जारी करा लिया है सुलतान के बार–बार तकाजा करने के बाद भी अपने जीवन काल में फकीरा हमेशा टाल मटोल करता रहा है। जबकि सुलतान का ही वादग्रस्त आराजी पर कब्जा हैं प्रार्थना पत्र देहिन्दा का आराजी पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नही है। दिनांक 23.01.2008 को सुलतान के पुत्र बलबीर ने वादी के हक में वसीयत लिखी है जो सुलतान एवं उसकी पत्नि की उपस्थिति में तहरीर व तकमील कराई गई है जो आज तक फोर्स में है। किसी न्यायालय द्वारा उसे फर्जी व नुमायशी घोषित नही किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश कर्ता के पिता की मृत्यु के बाद उनके मन में बदयान्ति आने के कारण झूठे तथ्यो के आधार पर प्रार्थी की आराजी को हडप करने की नियत से जिमन में बढा चढाकर झूठे तथ्य दर्ज किये है। जवाबदारान उपरोक्त खसरा नम्बरान पर अपने

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

पिता फकीरा के जीवनकाल से ही गैरकाबिज गैरवारता आराजी है बदनियती पूर्ण वाद को लम्बा करने की नियत से उपरोक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिले खारिज है।

जवाब पेश होने पर वकील पक्षकारान की प्रार्थना पत्र आदेश 7/11 जा0दी0 पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि बयनामा दिनांक 10.4.78 के द्वारा फकीरा पुत्र भौमा हरिजन ने स्वंय को तनहा वारिस बताते हुए आ0ख0न0 80,86 का बेचान सुलतान को जरिये नरबद जोगी किया हैं चूंकि बयनामें में फकीरा ने भौमा की एक और पुत्री भुरंगी के हिस्से का भी बेचान किया है तथा गैरअनुसुचित जाति के व्यक्ति के जरिये बेचान किया है जो गैर कानूनी है। बयनामा गैरकानूनी होने के साथ–साथ फर्जी है।यदि असल में बयनामा किया जाता तो उसका इंतकाल तो खुलवाया जाता । आदिनांक तक रजि0 बयनामा का दाखला नही खुला जबकि आराजी पर रहन का अंकन कैंप लंगडबास में पटवारी की रिपोर्ट अनुसार 29.05.81 को किया गया। यदि असली में बयनामा कराया जाता तो इससे पहले ही दाखिला खुलवा लिया गया होता। गैर–कानूनी रजि0 बयनामा के आधार पर दावा चलने योग्य नही है। सुल्तान के पुत्र बलबीर ने पैत्रिक आराजी की वसीयत वादी यादराम के पक्ष में लिखी है जो गैर–कानूनी है तथा वसीयत असल पेश नही की है नोटेरी की तिथि, स्टांप लेने वाले का नाम आदि का विवरण अंकित नही है अतः वसीयत गैरकानूनी एवं फर्जी है। फकीरा की पैत्रिक आराजी मे से सहोदरा बहिन के हिस्से को अकेला बेचने का हकदार नही था और ना ही बलबीर पुत्र सुलतान पैत्रिक आराजी की वसीयत कराने का अधिकारी था। अतः अवैध एवं गैरकानूनी, फर्जी बयनामा एवं वसीयत के आधार पर वादी का कोई टाईटल नही बनता है ना ही दावा चलाने का कोई आधार बनता है। अतः अवैध दस्तावेज एवं अवैध हस्तांतरण के आधार पर दावा बार्ड बाई लॉ है अतः प्रा0पत्र 7/11 स्वीकार किया जाकर दावा वादी खारिज किया जावे।

अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि फकीरा हरिजन ने बयनामा दिनांक 10.04.78 द्वारा सुलतान चमार को आराजी ख0न0 80,86 का बेचान किया है क्रेता व विक्रेता दोनो अनुसूचित जाति के है तथा दोनो पक्षो की सहमति से बयनामा कराया गया है जिसे उपजीयक कार्यालय में पंजीकृत भी कराया गया है। इसलिए बयनामा पूर्णतयःकानूनी एवं वैध दस्तावेज है। बयनामें में फकीरा ने स्वयं को तन्हा वारिस बताया है अन्य कोई वारिस होने के तथ्य को फकीरा ने स्वंय के बयनामें में छिपाया है इसमें क्रेता सुलतान की कोई गलती नही है क्रयशुद्धा आराजी का इंतकाल इसलिए नही खुल पाया क्योंकि आराजी पर फकीरा के द्वारा लोन लिया गया था जिसका अंकन जमाबंदीयात सं0 2036–39 में है। सुलतान के पुत्र बलबीर ने स्वेच्छा से वादी यादराम के पक्ष में चल– अचल संपत्ति की वसीयत लिखी है। अतः वादी के उक्त आराजी में अधिकार निहित है जिनकी घोषणा के लिए दावा प्रस्तुत किया गया है तथा वादी को उसके अधिकारो से वंचित नही किया जा सकता। अतः प्रा0पत्र 7/11 खारिज किया जाकर दावा चलाये जाने की अनुमति प्रदान की

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

जावे। अप्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नजीर माननीय सुप्रीम कोर्ट 12070 एण्ड 12071 2018 तथा राजस्थान हाईकोर्ट एस बी सिविल रिट याचिका नं0 185 ऑफ 2016 निर्णय 23.02.2017 महावीर संस्थान बनाम श्रीमति शशी माथुर प्रस्तुत की है।

प्रा0पत्र, जवाब प्रा0पत्र, प्रस्तुत दस्तावेजो का अध्ययन किया गया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सं0 2036–39 में भौमा के वारिस के रूप में फकीरा के अलावा भुरंगी का भी अंकन है परंतु बयनामा दिनांक 10.04.78 में फकीरा के द्वारा अन्य वारिस हाने के तथ्य को छिपाते हुए भुरंगी के हिस्से सहित विवादित आराजी के समस्त भाग का बेचान किया गया है जो सुस्थापित विधिक सिद्धांतो, माननीय उच्चतम न्यायालय में विभिन्न निर्णयों में पारित आदेशो के विरूद्ध तथा गैरकानूनी है और इस आधार पर उक्त बयनामें की वैधता प्रश्नगत होती है।

इसी प्रकार अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा जो कि असल प्रति में नही है न ही उस पर नोटेरी सत्यापन की तिथि का अंकन है और न ही स्टांप खरीदने वाले का विवरण मौजूद है। इस वसीयत की प्रति में बलबीर पुत्र सुलतान द्वारा आपनी चल–अचल संपति की वसीयत वादी यादराम के पक्ष में लिखने का उल्लेख है। परंतु यहां यह विधिक प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या पैत्रिक आराजी की वसीयत की जा सकती है? माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयो द्वारा सुस्थापित विधिक सिद्धांतो में यह प्रतिपादित किया गया है कि पैत्रिक आराजी की, वसीयत नही की जा सकती। इस आधार पर प्रस्तुत वसीयत की वैधता प्रश्नगत होती है।

इस स्तर पर न्यायालय को यह देखना है कि क्या दावा चलने का कोई आधार बचा रहता है अथवा नहीं। चूंकि विधिक उत्तराधिकारी के हिस्से को उसकी सहमति के बगैर हस्तातरित किया जाने के कारण प्रस्तुत बयनामा की वैधता प्रश्नगत है। वही यदि बयनामें को फकीरा के हिस्से तक वैध मान भी लिया गया तो क्रेता सुल्तान के पुत्र बलबीर द्वारा पैत्रिक आराजी की वसीयत की वैधता को किस प्रकार सिद्ध माना जावें।

चूंकि प्रस्तुत वाद घोषणात्मक है जिसमें अधिकारो का निर्धारण होता है। परंतु वादी द्वारा जिन दस्तावेजो के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया है उनकी वैधता ही प्रश्नगत है। जब तक आधार दस्तावेजो की वैधता के प्रश्न का विनिश्चय सक्षम न्यायालय द्वारा नहीं होता है तब तक उनके आधार पर अधिकारो के निर्धारण हेतु दावा चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। प्रस्तुत दावा दोनो दस्तावेज के उपरोक्त दो मुख्य कानूनी/तकनीकी बिन्दुओ के कारण कानून बार्ड बाई लॉ साबित होता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत तथ्य एवं परिस्थितियॉ भिन्न होने के कारण प्रकरण पर लागू नहीं होती है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

अतः आदेश है किः—

प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 सारयुक्त होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा विचाराधीन वाद सं0 138/23 यादराम बनाम श्योचन्द वगै0 को खारिज किया जाता है। पर्चाडिक्री मुर्तब हो। निर्णय टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ—बास (खैरथल—तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास खैरथल–तिजरा (राज0)

अध्याशाषितः– श्री मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस0

दावा सं0	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
138/23	26.07.2023	19.02.2025

उनवान

1. यादराम पुत्र घीसाराम जाति मेघवाल (चमार) निवासी मनेठी तहसील व जिला रेवाडी हरियाणा हाल निवासी कोहराना तहसील बहरोड जिला अलवर राज0।

:–वादी

बनाम

1. श्योचन्द पुत्र फकीरा
2. रामचन्द्र पुत्र फकीरा
3. केला पुत्री फकीरा
4. बदामी पुत्री फकीरा
5. विशाल पुत्री फकीरा
6. सुबेसिंह
7. जवाहरलाल पुत्रान श्री हबडाराम जातियान चमार निवासीयान ग्राम भटकोल तहसील किशनगढबास
8. केनरा बैंक शाखा प्रबंधक, शाखा–किशनगढबास तहसील किशनगढबास
9. उप–पंजीयक महोदय, तहसील किशनगढबास
10. श्रीमान तहसीलदार साहब किशनगढबास तह0 किशनगबास

:–प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0एक्ट0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0

उपस्थितिः–1. श्री रामवतार कपूर जी वकील प्रार्थी/प्रति0 की ओर से।
2. श्री गिरधारीलाल शर्मा जी वकील अप्रार्थी/वादी की ओर से।

पर्चाडिक्री

प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 सारयुक्त होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा विचाराधीन वाद सं0 138/23 यादराम बनाम श्योचन्द वगै0 को खारिज किया जाता है। निर्णय टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ–बास (खैरथल–तिजारा)